RCMS
219/00076

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

रामप्रताप बनाम राजपाल आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 24/2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
01.04.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। रेस्पों. सं. 1 की ओर से कैवियट प्रा.पत्र शामिल है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 22.10.2018 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा प्रार्थी रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत वाद में धारा 212(2) आर.टी.ए. के प्रा. पत्र पर चक 1बीएमएम के प.नं. 217/14 के कि.नं. 17, 24 की 0.253है0, 217/15 के कि.नं. 3, 4, 7, 18 की 0.633है0 कुल 0.886है0 पर अप्रार्थी सं. 1 तथा प.नं. 217/15 के कि.नं. 23, 24 की 0.253है0 भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा अतिक्रमी मानते हुए अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नकद प्रतिभूति रखने के आदेश दिये एवं नकद प्रतिभूति जमा नहीं कराने की स्थिति पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश दिये गये। वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजपाल द्वारा दावा पेश किया गया है जबकि राजपाल खातेदार नहीं है। रिसीवर नियुक्ति एक कठोरतम उपाय है, किसी शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त को जरिये रिसीवर बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलांट अतिक्रमी है या नहीं इसका निर्णय तो	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मूल वाद में होगा। अधी. न्यायालय ने एकतरफा तौर पर जो रिसीवर नियुक्त किया गया है वह सही नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित किया गया है जिसकी जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सही है। अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 22.10.18 के विरूद्ध दिनांक 18.03.19 को पेश की है, जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं, उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है, इसके अलावा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने

एकतरफा तौर पर पारित किया है। अपीलांट अतिक्रमी है या नहीं इसका निर्णय तो मूल वाद में साक्ष्य आदि आने के पश्चात ही अधी. न्यायालय द्वारा किया जाना है। किसी के शांतिपूर्वक कब्जा से रिसीवर जैसे कठोर उपाय अपनाते हुए बेदखल किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने जो बिन्दु अपील में उठाए हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा अपनी बहस में नहीं किया है। रेस्पों. ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी हो। अधी. न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्ति/नकद प्रतिभूति कायम करने सम्बन्धी जो आदेश दिया है वह कानून सम्मत नहीं होने से अपीलाधीन आदेश कायम रखने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट एडमिशन स्तर पर ही स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का आदेश दिनांक 29.10.2018 निरस्त किया जाता है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)